267

प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

संख्या-1265 XVIII(II) / 2012-17(21) / 2008 टी0सी0

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में [redacted]

राजस्व अनुभाग-2 **देहरादून: दिनांक: 22 मई, 2012**

विषय--ग्राम चन्द्रपुरी खादर, परगना गोरधनपुर जनपद हरिद्वार में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत चकबन्दी प्रकिया प्रारम्भ किए जाने हेतु **विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-4198 / चक0सं0 / 2011 दि0-26.11.2011 एवं जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार के पत्र सं0-92 / पेशकार (चकबन्दी) दि0-3.3.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, ग्राम चन्द्रपुरी खादर, परगना गोरधनपुर, जनपद हरिद्वार में जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत चकबन्दी प्रकिया प्रारम्भ किए जाने के लिए सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने हेतु शासन स्तर से अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया इस संबंध में तत्काल नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0-1265 / समदिनांकित 2012

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार।
2. बंदोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, हरिद्वार, रूड़की।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

1148UO LETTERS